

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1134/2024

Himmat Singh S/o Bhanwar Singh, R/o House No. 5, Malviya Nagar, Police Line Road, Jhawahar Nagar, Near Housing Board Tehsil And Distt. Bundi.

-----Petitioner

Versus

Durga Shankar Khatawa S/o Balchand, R/o Old Matunda Road, Tehsil And Dist. Bundi

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Dadhich, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devanshu Sharma, Adv. Mr. Sukhraj Singh Rathore, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/05/2026

आई.ए. 2/26 पर सुना गया।

आवेदन आई.ए. 2/26 स्वीकार कर याची-अभियुक्त हिम्मत सिंह के पिता का नाम भंवर सिंह वादशीर्षक में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। संशोधित वादशीर्षक पेश हो रखा है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदन आई.ए. 1/26 पर भी सुना गया।

विद्वान विचारण न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या-293/2018 में पारित निर्णय दिनांकित 06.06.2024, जिसके तहत अयाची/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर याची/अभियुक्त को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम में दोषी करार देते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 3,00,000/-रूपये का अर्थदण्ड/प्रतिकर अधिरोपित कर दण्डित किया गया, अदम अदायगी/प्रतिकर अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील

संख्या—94/2024 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, बूंदी द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से खारिज की गई, जिससे व्यथित होकर याची/अभियुक्त की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा परिवादी को याची द्वारा राजीनामा अनुसार राशि अदा कर दी गई है एवं इस क्रम में लिखित में समझौता पत्र/राजीनामा पत्रावली पर प्रस्तुत है। उक्त समझौता पत्र/राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने पक्षों के मध्य राजीनामा स्वेच्छया से होना बताया है, समझौता पत्र/राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है तथा रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा उसे तस्दीक किया गया है, अपराध शमनीय है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त राजीनामे के आधार पर याची/अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाना समीचीन है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांकित 06.06.2024 एवं 28.06.2024 अपास्त किया जाता है तथा याची-अभियुक्त को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है।

इसी अनुसार आई.ए. 1/26 स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J